कार्यालय नगर निगम देहरादून।

पत्रांकः–.....1963......./न0नि0/दे0दून0/2023–24 दिनांक–27/10/2023

सार्वजनिक–नीलामी सूचना।

सर्वधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम देहरादून द्वारा निष्प्रयोज्य सामाग्री, जो नगर निगम देहरादून के मयूर विहार स्थित गोदाम में रखी गयी है, की सार्वजनिक नीलामी "जो जहॉ है जैसी है" की स्थिति में दिनांक–06.11.2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे नगर निगम कार्यालय में गठित समिति के सम्मुख खुली बोली के माध्यम से सम्पन्न की जायेगी।

नीलामी की शर्ते

1. नीलामी दिनांक–06.11.2023 को नगर निगम कार्यालय में पूर्वाह्न 11:00 बजे गठित समिति की उपस्थिति में की जायेगी।
2. इच्छुक बोलीदाता नीलाम की जाने वाली सामग्रीयों की नीलामी तिथि से पूर्व दिनांक–05.11.2023 को अपरान्ह 5:00 बजे तक नगर निगम देहरादून के मयूर विहार स्थित गोदाम में चौकीदार के समक्ष निरीक्षण/देख सकते है।
3. नीलामी प्रक्रिया में प्रतिभाग करने से पूर्व प्रतिभाग धनराशि के रूप में रू0 1,000/– (एक हजार रूपये) नगद/डी0डी0 (डी0डी0, वरिष्ठ वित्त अधिकारी, नगर निगम देहरादून के नाम हो) के माध्यम से जमा करना अनिवार्य है, जिसे किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा प्रतिभाग राशि जमा किये बिना कोई व्यक्ति बोली में भाग नहीं ले सकेगा। (Non Refundable)
4. जिस बोलीदाता के नाम से प्रतिभाग राशि की धनराशि जमा की जायेगी, मात्र वही व्यक्ति नीलामी में प्रतिभाग कर पायेगा। किसी भी दशा में प्रतिनिधि मान्य नहीं होगा और न ही समूह का प्रवेश मान्य होगा।
5. बोलीदाता को नीलामी में प्रतिभाग करने से पूर्व प्रतिभाग करने की राशि सम्बन्धी नगद, डी0डी0 की मूल प्रति के साथ पैन कार्ड व आधार कार्ड, फर्म का जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति अनिवार्य रूप से नगर निगम कार्यालय के स्टोर (सामान्य) में जमा करानी होगी, तथा आधार कार्ड/पैन कार्ड की प्रति दिखाने के उपरान्त ही नीलामी में प्रतिभाग करने हेतु मयूर विहार स्थित गोदाम में प्रवेश की अनुमति दी जोयगी।

(महेश कुमार)
स्टोर/रिकार्ड कीपर
लेखा लिपिक
नगर निगम, देहरादून

अधिशासी अभियन्ता
नगर निगम, देहरादून

मुख्य नगर लेखा परीक्षक
नगर निगम, देहरादून

Scanned by TapScanner

6. नीलामी हेतु निष्प्रयोज्य सामाग्री की अनुमानित मात्रा घट बढ़ सकती है, एवं बोली निष्प्रयोज्य सामाग्री के न्यूनतम निर्धारित प्रति किलो ग्राम/प्रति नग दर की से उपर बोली जायेगी, जिस हेतु संलग्नकः– निष्प्रयोज्य सामाग्री की सूची में बोली हेतु न्यूनतम प्रति किलो ग्राम/प्रति नग दर एवं मात्रक निर्धारित की गयी है, बोलीदाता द्वारा निर्धारित सामाग्री की मात्रक के अनुसार ही बोली लगायी जायेगी, प्रत्येक बोलीदाता द्वारा न्यूनतम रू0 1/– के गुणांक में बोली बोली जायेगी।

7. बोलीदाता की कोई शर्त स्वीकार्य नहीं होगी।

8. समिति द्वारा स्वीकार की गयी उच्चतम बोली तभी अन्तिम मानी जायेगी, जब विभागाध्यक्ष द्वारा यह बोली अनुमोदित कर दी जायेगी।

9. यदि समिति के संज्ञान में यह बात आती है कि बोलीदाताओं द्वारा आपस में टीम बना ली है तथा निष्प्रोज्य सामग्रीयों का उचित मूल्य न मिलने की दशा में नीलामी स्थगित की जा सकती है। जिस पर किसी भी बोलीदाता की आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी।

10. नीलामी में प्रतिभाग करने हेतु नीलामी की तिथि से पूर्व दिनांक–05.11.2023 को अपरान्ह 5:00 बजे तक धरोहर राशि (security money) के रूप रू0 50,000/– (पचास हजार रूपये) डी0डी0/एफ0डी0आर0 (जो वरिष्ठ वित्त अधिकारी, नगर निगम देहरादून के नाम हो) के माध्यम से नगर निगम कार्यालय के स्टोर (सामान्य) में जमा करना अनिवार्य है, किसी दशा में धरोहर राशि कि धनराशि सम्बन्धी मूल प्रति जमा किये बिना नीलामी प्रक्रिया में प्रतिभाग करना अनुमन्य नही होगा। प्रथम, द्वितीय एंव तृतीय उच्चतम, बोली बोलने वाले बोलीदाता को छोड़कर शेष सभी बोलीदाताओं द्वारा जमा की गयी धरोहर राशि को नीलामी प्रक्रिया समाप्ति के उपरान्त अवमुक्त कर दिया जायेगा।

11. यदि उच्चतम बोली बोलने वाले व्यक्ति द्वारा नीलाम की गई सामग्री को उठाने से मना किया जाता है, तो उसके द्वारा जमा की गई धरोहर राशि की धनराशि को जब्त कर ब्लैक लिस्ट किये जाने की कार्यवाही की जायेगी, तदोउपरान्त द्वितीय उच्चतम बोलीदाता द्वारा बोली गयी बोली पर उक्त नीलाम की गयी सामाग्री को उठाना होगा, द्वितीय उच्चतम बोलीदाता द्वारा भी उक्त सामाग्री उठाने से मना किये जाने की दशा में उसके द्वारा जमा धरोहर धनराशि को जब्त कर ब्लैक लिस्ट किये जाने की कार्यवाही की जायेगी, तदोउपरान्त तृतीय उच्चतम बोलीदाता द्वारा बोली गयी बोली पर उक्त नीलाम की गयी सामाग्री को उठाना होगा तृतीय उच्चतम बोलीदाता द्वारा भी उक्त सामाग्री उठाने से मना किये जाने की दशा में उसके द्वारा जमा धरोहर धनराशि को जब्त कर ब्लैक लिस्ट कर अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

12. कर, चुंगी, भाड़े, तुलाई आदि समस्त व्यय का भुगतान बोलीदाता को स्वयं करना होगा।

13. उच्चतमा प्राप्त बोली को विभागाध्यक्ष के अनुमोदन उपरान्त उच्चतम बोलीदाता द्वारा नीलामी की गई सामग्री को 01 सप्ताह के अंदर गोदाम परिसर से हटाना अनिवार्य

(महेश कुमार)
स्टोर / रिकार्ड कीपर
लेखा लिपिक
नगर निगम, देहरादून

अधिशासी अभियन्ता
नगर निगम, देहरादून

मुख्य नगर लेखा परीक्षक
नगर निगम, देहरादून

Scanned by TapScanner

होगा यदि उच्चतम बोलीदाता द्वारा उक्त सामाग्री को 01 सप्ताह के भीतर नही उठाया जाता है तो नीलामी शर्त के बिन्दु सं0–11 के अनुसार प्रतिकूल कार्यवाही की जायेगी।

14. नगर आयुक्त, नगर निगम देहरादून को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी बोलीदाता व सभी बोलीदाता की बोली को बिना कारण बताये निरस्त कर दें।

15. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में उनका निपटारा विभागाध्यक्ष स्तर पर किया जायेगा, जो सभी को मान्य होगा।

16. सार्वजनिक नीलामी की तिथि को अवकाश होने की दशा में नीलामी अगले कार्य दिवस में की जायेगी।

17. सार्वजनिक नीलामी से सम्बन्धित वाद का क्षेत्र न्यायालय, देहरादून होगा।

18. सम्पर्क सूत्र– स्टोर कीपर (सामान्य) मो0 नं0– 8851430867।

उप नगर आयुक्त
नगर निगम देहरादून।

प्रतिलिपिः–

1. मा0 महापौर महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. नगर आयुक्त महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. कार्यालय आदेश दिनांक–25.08.2023 द्वारा गठित समिति के समस्त सदस्यों को आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रेषित।
4. आई0टी0 ऑफिसर को इस निर्देश के साथ प्रेषित की उपरोक्त सार्वजनिक–नीलामी सूचना सम्बन्धी समस्त विवरण नगर निगम देरादून की वेबसाईट– www.nagarnigamdehradun.com में तत्काल अपलोड करें।
5. कार्यालय प्रति।

उप नगर आयुक्त
नगर निगम देहरादून।

(महेश कुमार)
स्टोर / रिकार्ड कीपर
लेखा लिपिक
नगर निगम, देहरादून

अधिशासी अभियन्ता
नगर निगम, देहरादून

Scanned by TapScanner

निष्प्रयोज्य सामाग्री की सूची।

क्र0सं0	सामाग्री का विवरण	अनुमानित मात्रा	बोली हेतु न्यूनतम दर (जी0एस0टी0 सहित)
1.	लोहा	3000 किलो ग्राम	रू0 40 प्रति किलो ग्राम
2.	तारकोल के खाली ड्रम	500 नग	रू0 200 प्रति नग
3.	स्टील	100 किलो ग्राम	रू0 60 प्रति किलो ग्राम
4.	टीन	50 किलो ग्राम	रू0 30 प्रति किलो ग्राम
5.	प्लासटिक	300 किलो ग्राम	रू0 15 प्रति किलो ग्राम
6.	पुराने टायर	100 नग	रू0 50 प्रति नग

(महेश कुमार)
स्टोर / रिकार्ड कीपर
लेखा लिपिक
नगर निगम, देहरादून

अधिशासी अभियन्ता
नगर निगम, देहरादून

मुख्य नगर लेखा परीक्षक
नगर निगम, देहरादून

Scanned by TapScanner